This question paper contains 8+3 printed pages]

Your Roll No. .....

5862

LL.B./VI Term C

Paper LB-6041- -INTERPRETATION OF STATUTES

Time : 3 *Hours* *Maximum Marks* : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :— Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी **या** हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt any *five* questions.

All questions carry equal marks.

Support your answers with relevant judicial decisions.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

अपने उत्तर के समर्थन में न्यायिक परिणामों का हवाला दीजिए ।

P.T.O.

I. Under section 154 of the English Companies Act, 1929 provided machinery for transfer of a company to a new company. Under the section 'transfer' included all properties, rights, liabilities and duties of the transferor company which will vest in the transferee company.

N was working with H & Co. under a contract of service. H & Co. was transferred to D & Co., in terms of section 154, N continued to work at the same place and neither he had any knowledge of such transfer nor H & Co. or D & Co. informed him, D & Co. brought an action against N under Employers and Workmen Act, 1875 for wilful absention of N. N contended that he was not an Employee of D & Co. as he had not contract of service with them and thus no action could be taken against him by D & Co. On the other hand D & Co. argued that the contract of service between

N and H & Co. was 'property' and since all the properties of H & Co. stood vested in D & Co. by virtue of section 154, which is plain and unambiguous, D & Co. could bring an action against N.

Decide in the light of Golden Rule of interpretation.

इंग्लिश कम्पनीज अधिनियम, 1929 की धारा 154 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि एक कम्पनी का नई कम्पनी में किस प्रकार का अन्तरण किया जाएगा । इस धारा के द्वारा 'अन्तरण' में समस्त सम्पत्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य जो अन्तरक कम्पनी में है, अन्तरिती कम्पनी में निहित हो जायेंगे ।

N एच एण्ड कं. के साथ कार्य कर रहा है । सेवा संविदा के तहत एच एण्ड कं. को धारा 154 के तहत डी. एण्ड कं. को अन्तरित कर दिया गया । N उसी स्थान पर कार्य

करना जारी रखता है । न तो उसे इस अन्तरण का कोई ज्ञान था और न ही एच एण्ड कं. अथवा डी एण्ड कं. ने N को इस अन्तरण के सम्बन्ध में सूचित किया । डी एण्ड कं. N के विरुद्ध इम्प्लाई और वर्कमैन अधिनियम, 1875 के तहत स्वेच्छा से अनुपस्थित होने के कारण कार्यवाही करता है । N इस कार्यवाही का इस आधार पर विरोध करता है कि वह डी एण्ड कं. का कर्मचारी नहीं है और न ही इस कम्पनी के साथ उसकी कोई सेवा की संविदा है । अतएव उसके विरुद्ध डी एण्ड कं. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । दूसरी तरफ डी एण्ड कं. यह तर्क करती है कि N और एच एण्ड कं. के मध्य सेवा की संविदा एक संपत्ति है । चूँकि एच एण्ड कं. की समस्त सम्पत्ति धारा 154 के कारण डी एण्ड कं. में निहित है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, अत: डी एण्ड कं. N के खिलाफ यह कार्यवाही कर सकती है ।

निर्वचन के स्वर्णिम नियम के आलोक में निर्णीत कीजिए ।

2. "The soundness of *Heydon's* Rule lies in suppressing the mischief and advancing the remedy." Discuss various conditions for the applicability of this rule. Also discuss whether this rule should be applied only when the language of the statute is ambiguous.

"हेडेन के नियम की सुचित्तता इस तथ्य में निहित है कि यह रिष्टि का दमन करके अनुतोष को बढ़ावा देता है ।" इस नियम को लागू करने की भिन्न शर्तों का वर्णन कीजिए । इस बात का भी उल्लेख कीजिए कि क्या इस नियम को वहीं लागू करना चाहिए जहाँ कि संविधि की भाषा संदिग्ध हो ।

3. Explain and illustrate the principles of *noscitur-a-sociis* and *ejusdem generis* as applied to the construction of statutes.

Under an English law, a ship was to be relieved from liability for not delivering cargo at a certain port or ports if it was in the opinion of the master usage to do so 'in consequences of war, disturbance or any other cause'. Whether a port inaccessible in the opinion of the master through ice formation in the sea is also within the exception of the said law. Discuss.

'साहचर्येण ज्ञायते' और 'उसी प्रकार का' सिद्धान्तों को किस प्रकार संविधि के अर्थान्वयन हेतु लागू किया जाता है, समझाते हुए व्याख्या कीजिए ।

इंग्लिश विधि के तहत किसी पोत को कारगो के किसी पत्तन के स्थान विशेष पर पहुँचाने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाता था यदि उस पोत के मास्टर की राय में उस कारगो की डिलीवरी युद्ध, अशान्ति अथवा अन्य कारणों से असुरक्षित थी । क्या एक पत्तन जो बर्फ से जम गये

समुद्र के कारण मास्टर की राय में पोत के पत्तन तक पहुँच से बाहर है, भी उपर्युक्त विधि के अपवाद में आता है ? व्याख्या कीजिए ।

4. Distinguish between the penal and the remedial statutes and state the content and the limits of the rule regarding the interpretation of penal statutes.

दाण्डिक और अनुतोषिक संविधियों में अन्तर बताइए और दाण्डिक विधि के निर्वचन से संबंधित नियम के आवश्यक तत्व और सीमाएँ बताइए ।

5. "Where two provisions operate on one field, both have to be allowed to have their play, unless such operation would result in patent inconsistency."

Discuss the Harmonious Rule of construction to be applied in such situations with reference to decided cases.

"जहाँ दो प्रावधान एक विषय पर लागू होते हैं, वहाँ दोनों को, तब तक अपना कार्य करते रहने देना चाहिए जब तक कि दोनों का ऐसा प्रवर्तन प्रत्यक्ष असुसंगतता को जन्म नहीं देता ।"

सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम इन परिस्थितियों में किस प्रकार लागू किया जाता है ? विनिर्णीत वादों के प्रकाश में चर्चा कीजिए ।

6. Discuss the importance of 'external' and 'internal' aids to the construction of statutes. Assess the relevance of any *two* of the following in the construction of statutes :

(*i*) Long Title and Preamble

(*ii*) Proviso

(*iii*) Parliamentary History.

आन्तरिक और बाह्य सहयोग सामग्री का संविधि के अर्थान्वयन में क्या महत्व है ? निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** का संविधि के अर्थान्वयन में सुसंगतता का मूल्यांकन कीजिए :

(*i*) दीर्घ शीर्षक और प्रस्तावना

(*ii*) परन्तुक

(*iii*) संसदीय इतिहास ।

7. (*a*) "In its zeal to protect the right to speedy trial of an accused, can the court device and almost enact such bars of limitation though the legislature and the statutes have not chosen to do so." Comment critically.

(*b*) It is said that the words of common usage are to be understood in their popular sense. While interpreting a particular statute. Do you agree ? Discuss.

(*a*) "किसी अभियुक्त के त्वरित अभियोजन के अधिकार को बचाने के जोश में क्या न्यायालय परिसीमा के ऐसे बंधन बना सकता है या तकरीबन अधिनियमित कर सकता है जो कि विधायिका और संविधि द्वारा नहीं चुने गये हैं ।" आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए ।

(*b*) यह कहा जाता है कि सामान्य प्रयोग के शब्दों को किसी विधायन विशेष का निर्वचन करते समय उनके चर्चित भाव में समझना चाहिए । क्या आप इससे सहमत हैं ? चर्चा कीजिए ।

8. Write short notes on any *two* of the following :

(*i*) Rule of purposive construction

(*ii*) *Ut res magis valeat quam pereat*

(*iii*) Literal rule of construction.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(*i*) उद्देश्यपरक अर्थान्वयन का नियम

(*ii*) अट रेस मैजिस वैलियट क्वाम पैरियट (अमान्य से मान्य करना अच्छा है)

(*iii*) अर्थान्वयन का शाब्दिक नियम ।